भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2384
उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में ओपन हाउस

†2384. श्री वाई.एस.अविनाश रेड्डी:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में 'ओपन हाउस' में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने पिछड़े वर्गों के संकाय सदस्यों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के अलावा हाशिए पर पड़े विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने और कुशल छात्र परामर्श सेवाएं प्रदान करने में संस्थान की विफलता को उजागर किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छात्रों ने यह सुनिश्चित करने के लिए मांगों का एक सेट प्रस्तुत किया है कि ऐसी दुभाग्यपूर्ण मौतों की पुनरावृत्ति नहीं हो और मांग पत्र में एक आरटीआई का हवाला देते हुए कहा गया है कि 14 विभागों में कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति संकाय सदस्य नहीं है, 24 विभागों में कोई अनुसूचित जनजाति शिक्षक नहीं है, 15 विभागों में कोई अनुसूचित जन जाति के शिक्षक नहीं हैं और 9 विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के कोई संकाय सदस्य नहीं है, और

(ग) उन संकटग्रस्त लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक मानसिक स्वास्थ्य आत्महत्या रोकथाम सोसायटी की हैल्पलाइन 011-40769002 पर संर्पक किया है और अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख): जैसाकि आईआईटी दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है, संस्थान ने सभी स्नातक छात्रों को अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करने, शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान करने और उन्हें व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने, शैक्षणिक इकाइयों और छात्रावासों के साथ इंटरफेस करने, आवश्यक नीति परिवर्तन आदि का सुझाव देने के लिए एक शैक्षणिक प्रगति समूह (एजीपी)

का गठन किया है। परामर्श सेवाओं में सुधार के लिए छात्रों द्वारा साझा किए गए सुझाव जैसे नए परामर्शदाताओं को नियुक्त करना, फीडबैक प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, बाहरी व्यक्ति परामर्श सेवाओं का पैनल तैयार करना, परामर्श सेवाओं की संख्या और प्रकार बढ़ाना आदि शामिल करने को कार्यान्वित किया गया।

सरकार ने आरक्षण मानदंडों को अपनाने में एकरूपता सुनिश्चित करने और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणी के संकाय पदों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय शिक्षा संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया था। भारत सरकार द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर यथानिर्धारित प्रवेश, नियुक्तियों आदि के संबंध में एससी/एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, निगरानी और निरंतर मूल्यांकन को सुनिश्चित करने हेतु आईआईटी दिल्ली में एससी/एसटी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

(ग): मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन सं. 011-40769002 संजीवनी सोसायटी से संबंधित है, जो एक पंजीकृत गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है। आईआईटी दिल्ली ने सूचित किया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए संजीवनी सोसायटी के इस हेल्पलाइन नंबर से संबंधित जानकारी छात्र समुदाय को आधिकारिक संस्थान परामर्श पोर्टल (https://bsw.iitd.ac.in/counselling.php) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। मानसिक-स्वास्थ्य-सहायता सेवाओं के उपयोग से संबंधित गोपनीयता शर्तों के अनुसार, इन सेवाओं का उपयोग करने वाले छात्रों का रिकॉर्ड आईआईटी दिल्ली के पास उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार की मनोदर्पण नामक पहल में, छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्यकलापों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा, मनोवैज्ञानिक तनाव के मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए आईआईटी और अन्य संस्थानों में छात्रों के लिए विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श हेल्पलाइन, छात्र कल्याण केंद्र, मित्र-सहायता प्रणाली और कई अन्य उपाय लागू किए गए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (छात्र शिकायत निवारण) विनियम, 2019 छात्रों के हितों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दे के समाधान के लिए, यूजीसी ने 05.04.2020 को उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एचईआई) को परामर्शी जारी किया था। यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, 2021 भी प्रसारित की है।

इसके अलावा, आईआईटी दिल्ली ने शैक्षणिक संस्थानों/कार्यस्थल में तनाव का शमन करने हेतु व्यावहारिक उपकरण एवं तकनीक खोजने के लिए 30 मई, 2023 को उत्तरी क्षेत्र के लिए मानसिक कल्याण और तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया ताकि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके और छात्रों के मानसिक कल्याण को हैंडल करने के लिए अन्य संस्थानों द्वारा उपयोग की जा रही प्रणाली के बारे में जाना जा सके। आईआईटी मद्रास (दक्षिणी क्षेत्र के लिए), आईआईटी गांधीनगर (पश्चिमी क्षेत्र के लिए),

और आईआईटी गुवाहाटी (पूर्वी क्षेत्र के लिए) द्वारा इसी तरह की कार्यशालाएँ क्रमशः 12 मई, 2023, 9-10 जून, 2023 और 26 अगस्त, 2023 को आयोजित की गईं।

*****